अज अदालत अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जोधपुर

.........[handwritten]......... बनाम ......[handwritten]......

किस्म मुकदमा—राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राज.भू—राजस्व अधि0 1956 सं0 /2025

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	महोदय, अपीलांट्स की ओर से यह अपील वकील श्री रोशनलाल ने राज0 भू राजस्व अधि0 की धारा 75 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी बाडमेर द्वारा अंतर्गत धारा 111, 128 आरएलआर एक्ट के तहत राजस्व आवेदन संख्या 47/2023 में पारित आदेश दिनांक 07.02.24 के विरूद्ध प्रस्तुत की है। 1. प्रस्तुत अपील इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार में है। 2. प्रस्तुत अपील पर न्याय शुल्क पूर्ण है। 3. प्रस्तुत अपील पत्र म्याद बाहर है। 4. अपील के साथ रेस्पो0 के सम्मन निर्धारित कोर्ट फीस के प्रस्तुत किये गये है। 5. अपील के साथ मियाद अधि0 की धारा 05 के तहत प्रार्थना पत्र मय श0प0 प्रस्तुत है। 6. अपील के साथ स्थगन प्रार्थना पत्र मय श0प0 प्रस्तुत है। आदेशार्थ प्रस्तुत है। रीडर [signature] 10/6/25 अति0 संभागीय आयुक्त महोदय	

आर्डर शीट

न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जोधपुर

राजस्व अपील सं0 /2025 अनवान नरसिंगाराम व अन्य बनाम अर्जुनराम वगै.

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहमकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
17.06.25	वकील अपीलांट्स उपस्थित। उक्त अपील राज0 भू राजस्व अधिनियम की धारा 75 के तहत उपखण्ड अधिकारी बाडमेर द्वारा राजस्व आवेदन संख्या 47/2023 में पारित आदेश दिनांक 07.02.2024 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। अपील के साथ स्थगन प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया गया। वकील अपीलांट की स्थगन प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई तथा अपील के साथ प्रस्तुत दस्तावेजो का अवलोकन किया गया एवं अपीलांट अधिवक्ता की स्थगन के संबंध मे चाही गई इस्तदुआ पर भी मनन किया। वकील अपीलांट का मुख्य कथन यह रहा कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विप्रार्थी के नोटिस सम्यक रूप से तामिल करवाये बिना तथा बिना सीमांकन रिपोर्ट के नेखमबंदी का आदेश पारित कर दिया गया। जबकि पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों के अनुसार अपीलाधीन आदेश की पालना में मौका फर्द दिनांक 07.04.25 से 11.04.25 द्वारा कार्यालय जिला कलेक्टर बाडमेर से जारी सर्वेशीट नक्शा नकल तथा मोमीट्रेस नक्शा नकल के आधार पर मौके पर पैमाईश व पक्की नेखमबंदी की जा चुकी है तथा इसकी पालना रिपोर्ट तहसीलदार बाडमेर के पत्रांक 1457 दिनांक 22.05.25 द्वारा उपखण्ड अधिकारी बाडमेर को प्रेषित कर दी गई है। ऐसी स्थिति में उक्त अपील का कोई औचित्य प्रतीत नही होने से, इसी स्तर पर खारिज की जाती है। पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर, फैसल शुगार की जावे। निर्णय आज दिनांक खुले न्यायालय लिखाया जाकर सुनाया गया। (सीमा कविया) अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जोधपुर	